



अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअम)
समतामूलक व मुफ्त शिक्षा नीति के लिए जनमत संग्रह (रायशुमारी)
(जनवरी-फरवरी 2019)

सहमति के लिए 'हाँ' पर और असहमति के लिए 'नहीं' पर सही (✓) का निशान लगाएं

1	शिक्षा में सार्वजनिक-निजी साझेदारी, पीपीपी (सरकारी खजाने से निजी शैक्षिक संस्थानों को जनता का पैसा व अन्य सरकारी समर्थन देना) समेत हर तरह के बाज़ारीकरण, खरीद-फ़रोख़्त व मुनाफ़ाखोरी पर पाबंदी लगे।	हाँ	नहीं
2	सरकारी स्कूलों, कालेजों व विश्वविद्यालयों को कमज़ोर करने, बंद करने व इनका विलयन करने (यानी 2 या 3 स्कूलों को एकीकृत करके गांव व बस्तियों से दूर ले जाना) की नीति को ख़ारिज करके सभी बच्चों व युवाओं को 'केजी से पीजी तक' (मेडिकल, इंजीनियरिंग, मेनेजमेंट, कानून, कंप्यूटर, अध्यापक शिक्षण, नर्सिंग आदि पेशेगत शिक्षा समेत) एक मजबूत, समृद्ध व पूरी तौर पर सार्वजनिक वित्त-पोषित मुफ्त शिक्षा व्यवस्था के ज़रिये बराबरी व सामाजिक न्याय की बुनियाद पर टिकी हुई समतामूलक गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया की जाए।	हाँ	नहीं
3	शिक्षा के बढ़ते हुए केंद्रीकरण (केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के फ़ैसले लेने व शिक्षा नीति बनाने का संवैधानिक हक छीनना) व नौकरशाही नियंत्रण (शैक्षिक संस्थानों का आंतरिक लोकतंत्र खत्म करना) की संविधान-विरोधी नीति को पलटकर नीति निर्माण में राज्यों के संघीय अधिकारों और शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों व शिक्षकों के असहमति व्यक्त करने के संविधान-सम्मत लोकतांत्रिक अधिकारों को फिर से कायम करते हुए पुख़्ता किया जाए।	हाँ	नहीं
4	'केजी से पीजी' तक ज्ञान हासिल करने व उसका निर्माण करने, अंग्रेज़ी समेत अन्य भाषाओं को सीखने, नौकरियां हासिल करने, नए पेशों व कैरियरों में अपनी जगह बनाने व आत्मसम्मान के साथ आजीविका कमाने में मातृभाषा की ज़रूरी व मुक्तिकामी भूमिका को फिर से कायम किया जाए ताकि विभिन्न वर्गों, जातियों, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों, जेंडरों, व अंचलों या इलाकों के बीच समानता व सामाजिक न्याय के एजेंडे को पुख़्ता किया जा सके और भारत के लिए भी उन तमाम विकसित मुल्कों की तरह आगे बढ़ने की तमाम संभावनाएं खुल जाएं जिन्होंने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की नीति सफलतापूर्वक अपनाई है।	हाँ	नहीं
5	लोकतंत्र, धर्मनिर्पेक्षता, समाजवाद, बंधुत्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बराबरी, सामाजिक न्याय तथा वैज्ञानिक सोच के संवैधानिक मूल्यों के मुताबिक शिक्षा मुहैया करने की गारंटी देकर शिक्षा व्यवस्था को सांप्रदायिकता, मनुवाद, पितृसत्ता, बहुजनों व मज़दूर वर्ग की शिक्षा से भारी बेदखली, विकलांगों के ऊपर 'सामान्य' शरीर के वर्चस्व व अभिजातवाद से मुक्त किया जाए।	हाँ	नहीं
6	भारत की शिक्षा में विश्वबैंक (वर्ल्ड बैंक), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ़) व अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त-पोषक संस्थाओं जैसी वैश्विक पूँजीवाद की एजेंसियों की जन-विरोधी व देश-विरोधी भूमिका को खत्म किया जाए ताकि संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक भारत की संप्रभुता को एक बार फिर से कायम किया जा सके।	हाँ	नहीं
7	सभी सरकारी स्कूलों के स्तर को ऊंचा करके कम-से-कम केंद्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूल) के बराबर किया जाए।	हाँ	नहीं
8	इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अगस्त 2015 के आदेश की तर्ज़ पर एक केंद्रीय कानून बनाकर देश भर में लागू किया जाए जिसके ज़रिए केंद्र, राज्य या केंद्र-शासित क्षेत्र की सरकार से किसी भी तरह का पैसा (वेतन, मानदेय, सलाहकार फ़ीस, दिहाड़ी, ठेका, टेंडर आदि) या अन्य कोई फ़ायदा लेने वाले सभी लोगों के लिए अपने बच्चों को पढ़ास के सरकारी स्कूल में पढ़ाना कानूनन अनिवार्य हो जाए।	हाँ	नहीं

नाम.....

संगठन/काम/पेशा.....

ईमेल पता और मोबाइल/फ़ोन:

गांव/शहर, ज़िला व प्रदेश.....

तारीख.....

दस्तखत.....

जनमत संग्रह (रायशुमारी) आयोजित करवाने वाले संगठन का नाम व पिनकोड समेत डाक का पता, मोबाइल नं. व ईमेल पते के साथ.....

भरे हुए मतपत्र 18 फरवरी 2019 को आंबेडकर भवन, रानी झाँसी रोड, दिल्ली में जमा किए जाएँ अथवा निम्नांकित में से किसी एक पते पर भेजे जाएँ:

ईमेल: aifre.referendum@gmail.com; वाट्सएप: 9953736392

डाक का पता: AIFRE Referendum, डी-१२, गीताजलि एन्क्लेव, नई दिल्ली 110 017